न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी एल. आर. गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 08/2017 – निगरानी

1. कान सिंह पिता बालूराम राजपुरोहित निवासी अन्टाली तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा	बनाम	1. मनोज कुमार पुत्र शम्भूलाल शर्मा निवासी ढोली मोहल्ला , अन्टाली तहसील आसीन्द 2. ग्राम पंचायत अन्टाली जरिये सरपंच ग्राम पंचायत अन्टाली तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
–निगराकार		– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम विरूद्व मिसल सं. 181 पटटा संख्या 01 दिनांक 13.07.2008

उपस्थित –

1. श्री गोपाल अजमेरा अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. गैर निगराकार सं. 01 स्वयं उपस्थित

निर्णय

दिनांक 31.10.2017

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि विपक्षी सं. 02 द्वारा विपक्षी सं. 01 के हक में जरिये मिसल सं. 181 के तहत दिनांक 13.07.2008 को पटटा सं. 01 द्वारा पुराने गृहों का विनियमितीकरण का पटटा जारी करने में भारी भूल की हैं, इस कारण पटटा निरस्त किये जाने योग्य हैं । विपक्षी सं. 02 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की कोई पालना नहीं कर उक्त पटटा जारी किया गया हैं। विपक्षी सं. 02 द्वारा जिस जगह का पटटा जारी किया गया हैं वह विपक्षी सं. 01 का पुश्तैनी सम्पदा नहीं हैं। विपक्षी सं. 01 ने प्रार्थी के कब्जे व उपयोग – उपभोग के पुश्तैनी जायदाद का पटटा भी उसके नाम से जारी करवा लिया हैं, इस कारण तथाकथित पटटा निरस्त किये जाने योग्य हैं । विपक्षी सं. 01 के हक में जो पटटा जारी किया गया हैं, उसके पश्चिमी दिशा में जो पड़ौस रास्ता दिखाया हैं वह पूर्ण रूप से गलत हैं, क्योंकि रास्ते के पूर्व दिशा में प्रार्थी की पुश्तैनी जायदाद जिसकी नपती 10 फीट बाई 24 फीट की हैं, वह स्थित हैं, जिस पर प्रार्थी काबिज हो उपयोग – उपभोग करता चला आ रहा हैं । विपक्षी सं. 02 ने पटटा जारी करते समय कब्जे बाबत् कोई जांच नहीं की तथा विपक्षी सं. 01 की कोई पुश्तैनी जायदाद नहीं होते हुए भी उसके नाम पुराने गृहों का विनियमितीकरण का पटटा जारी कर दिया , इस कारण जारी किया गया पटटा अपास्त होने योग्य हैं । नियम 157(ख) के तहत पुराने पुश्तैनी गृहों के विनियमितीकरण का पटटा ही जारी किया जा सकता हैं , लेकिन विपक्षी सं. 01 के जिस जगह का पटटा जारी किया गया हैं, वह आंशिक भू भाग प्रार्थी के कब्जेशुदा हैं तथा शेष भू भाग भी विपक्षी सं. 01 का पुश्तैनी नहीं है। ऐसी स्थिति में विपक्षी सं. 02 ने पूरी तरह नियमों

के विपरीत विपक्षी सं. 01 को हक अधिकारों के विपरीत पटटा जारी किया गया है, जो निरस्त होने योग्य हैं । अतः निवेदन है कि प्रार्थी निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर विपक्षी सं. 02 द्वारा विपक्षी सं. 01 के हक में जरिये मिसल सं. 181 के तहत दिनांक 13.07.2008 को पटटा सं. 01 जारी किया गया हैं, उसे निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावे ।

प्रस्तुत निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 21.04.2017 को पंजीकृत करते हुये गैर निगराकारान को नोटिस जारी किये गये व ग्राम पंचायत अन्टाली पंचायत समिति आसीन्द से पत्रावली तलब की गयी।

प्रस्तुत निगरानी में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी ।

निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी में प्रस्तुत बिन्दु सं. 1 से लगायत 08 के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि विपक्षी सं. 02 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की कोई पालना नहीं कर उक्त पटटा जारी किया गया हैं। विपक्षी सं. 02 द्वारा जिस जगह का पटटा जारी किया गया हैं वह विपक्षी सं. 01 का पुश्तैनी सम्पदा नहीं हैं। विपक्षी सं. 01 ने प्रार्थी के कब्जे व उपयोग – उपभोग के पुश्तैनी जायदाद का पटटा भी उसके नाम से जारी करवा लिया हैं, इस कारण तथाकथित पटटा निरस्त किये जाने योग्य हैं । विपक्षी सं. 01 के हक में जो पटटा जारी किया गया हैं, उसके पश्चिमी दिशा में जो पड़ौस रास्ता दिखाया हैं वह पूर्ण रूप से गलत हैं, क्योंकि रास्ते के पूर्व दिशा में प्रार्थी की पुश्तैनी जायदाद जिसकी नपती 10 फीट बाई 24 फीट की हैं, वह स्थित हैं, जिस पर प्रार्थी काबिज हो उपयोग – उपभोग करता चला आ रहा हैं । विपक्षी सं. 02 ने पटटा जारी करते समय कब्जे बाबत् कोई जांच नहीं की तथा विपक्षी सं. 01 की कोई पुश्तैनी जायदाद नहीं होते हुए भी उसके नाम पुराने गृहों का विनियमितीकरण का पटटा जारी कर दिया , इस कारण जारी किया गया पटटा अपास्त होने योग्य हैं । नियम 157(ख) के तहत पुराने पुश्तैनी गृहों के विनियमितीकरण का पटटा ही जारी किया जा सकता हैं , लेकिन विपक्षी सं. 01 के जिस जगह का पटटा जारी किया गया हैं, वह आंशिक भू भाग प्रार्थी के कब्जेशुदा हैं तथा शेष भू भाग भी विपक्षी सं. 01 का पुश्तैनी नहीं है। ऐसी स्थिति में विपक्षी सं. 02 ने पूरी तरह नियमों के विपरीत विपक्षी सं. 01 को हक अधिकारों के विपरीत पटटा जारी किया गया हैं, जो निरस्त होने योग्य हैं । निवेदन है कि प्रार्थी निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर विपक्षी सं. 02 द्वारा विपक्षी सं. 01 के हक में जरिये मिसल सं. 181 के तहत दिनांक 13.07.2008 को पटटा सं. 01 जारी किया गया हैं, उसे निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावे ।

गैर निगराकार सं. 01 ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम पंचायत अंटाली ने पुराने गृहों का विनियमितिकरण का पटटा दिनांक 13.07.2008 को गैर निगराकार के पक्ष में जारी किया । पटटे को सरपंच ग्राम पंचायत अंटाली ने दिनांक 15.09.2008 को रजिस्ट्री करवायी । गैर निगराकार के पक्ष में ग्राम पंचायत अंटाली ने नियमानुसार पटटा जारी किया। निगराकार की निगरानी खारिज करायी जावे ।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । ग्राम पंचायत अंटाली की पत्रावली सं. 181/2008 में श्री मनोज कुमार पुत्र शम्भुलाल शर्मा निवासी अंटाली के नाम राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157 (ख) के तहत दिनांक 13.07.2008 को पटटा जारी किया हैं।

157 राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 इस प्रकार हैं –

पुराने गृहों का विनियमतीकरण –

1. जहाँ व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते हैं और पटटा जारी किये जाने के इच्छुक हैं वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्रारूप 23–क में पंचायत द्वारा पटटा जारी किया जा सकेगा ।

(i) 300 वर्गगज तक के क्षैत्रफल के लिए 300 वर्गगज अधिकतम क्षैत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षैत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षैत्रफल –

(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षों से अधिक पूर्व में 100/–रू. संनिर्मित पुराने गृहों के लिए ।

(ख) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती पचास वर्षों के दौरान 200/–रू. संनिर्मित पुराने गृहों के लिए

(ii) उपर्युक्त खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट क्षैत्रफल से अधिक क्षैत्रफल के लिए, राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की नयी बाजार दरों का 25 प्रतिशत ।

गैर निगराकार ने दिनांक 25.02.2008 को सरपंच ग्राम पंचायत अण्टाली को स्वयं के पुश्तैनी मकान का नियम 157 के तहत पटटा जारी कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । इस आवेदन पत्र को दिनांक 25.02.2008 को आवेदन शुल्क के 20/–रू. मौका नक्शा, मौका निरीक्षण के 50–50/–रू. कुल 120/–रू. पंचायत कोष में जमा करके सरपंच ग्राम पंचायत अण्टाली ने दिनांक 5.03.2008 को मकान का स्थल निरीक्षण करने हेतु तीन वार्ड पंच को नियुक्त किया । वार्ड पंचों द्वारा दिनांक 05.03.2008 को ही मौका निरीक्षण कर मौका निरीक्षण प्रपत्र प्रस्तुत कर दिया । मौका निरीक्षण प्रपत्र में निर्मित पुश्तैनी मकान में क्षैत्रफल का अंकन नहीं हैं। मकान कब व किसके द्वारा निर्मित किया गया हैं ?, अंकन नहीं हैं।

गैर निगराकार ने पटटा जारी कराने के आवेदन पत्र में 27 वर्ष पुराना मकान होना बताया हैं, जबकि 50 वर्ष पुराने मकान का ही पुश्तैनी पटटा जारी करने का प्रावधान हैं । मौका निरीक्षण रिपोर्ट ग्राम पंचायत में भी मकान कितने वर्ष पुराना हैं ? अंकित नही हैं । कब्जे की जांच स्पष्ट नहीं की हैं । विपक्षी सं. 01 के पटटे में पश्चिम दिशा में जो पड़ौस रास्ता दिखाया गया, वह गलत हैं। ग्राम पंचायत अंटाली द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145,146,147,148,149 की पालना नहीं की गई हैं। उपरोक्त विवेचन के अनुसार निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती हैं । अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत अन्टाली मिसल सं. 181 पटटा क्रमांक 01 दिनांक 13.07.2008 के संबंध में निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाती है। पंचायत राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157 (1) एवं पंचायती राज नियम 1996 के नियम 143 से 149 में विहित

प्रक्रियाँ की स्पष्ट उल्लघंना होने से गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में जारी मिसल सं. 181 के तहत दिनांक 13.07.2008 को पटटा सं. 01 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड ग्राम पंचायत अन्टाली पंचायत समिति आसीन्द को प्रेषित किया जावे ।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/10/17

(एल.आर.गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा